निर्णय न्यायालय श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां राजस्थान

प्रकरण सं.: 52/2015 राज.
दायरा दिनांक: 9.6.2015
निर्णय दिनांक: 07.12.21

वादीगण

1. रामकल्याण पुत्र माधोलाल
2. राधेश्याम पुत्र माधोलाल
3. मंगलीबाई बेवा माधोलाल
4. द्वारका बाई पुत्री माधोलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बमोरी तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 RTA
निर्णय दिनांक: 07.12.21

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्याया. मे इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम बमोरी तहसील बारां मे स्थित ख.नं. 382 रकबा 4.19 बीघा, ख.नं. 384 रकबा 1.06 बीघा कुल किता 2 रकबा 6.05 बीघा आराजी स्थित थी जो सम्वत 2032-35 की जमाबंदी मे भैरु पुत्र मोगा कोली चमार के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। यह आराजी इन्तकाल नं. 86 से भैरु के खातेदारी मे दर्ज हुई थी। भैरु पुत्र मोगा वादीगण का [illegible] था जो फौत होने के बाद भैरु के स्थान पर माधोलाल वल्द भैरु चमार के नाम से आराजी दर्ज हुई माधोलाल वादीगण का पिता था इन्तकाल नं. 99 दिनांक 18.6.1994 से भैरु के स्थान पर माधोलाल का नाम कोली के रूप मे दर्ज हुआ था। माधोलाल के फौत होने पर इन्तकाल नं. 308 दिनांक 5.3.09 से माधोलाल के स्थान वादीगण व माधो की पुत्री द्वारकाबाई व बेवा मंगली बाई का नाम दर्ज हुआ। बाद ग्राम आराजी के वक्त बन्दोबस्त शामिल ख.नं. 623 रकबा 0.66 हे. ख.नं. 625 रकबा 0.02 हे. ख.नं. 626 रकबा 0.21 हे. कुल 3 किता रकबा 0.89 हे. रकबा कायम किया साबिक रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का प्र. प्रबन्ध विभाग को 1.00 हे. कायम करना चाहिये था किन्तु उन्होंने मात्र 0.89 हे. ही रकबा कायम किया एवं 0.11 हे. आराजी ख.नं. 628 जो मुख्य नं. है एवं सिवायचक है मे शामिल कर दी। प्र. प्रबन्ध विभाग को इसका कोई अधिकार नहीं था। यह आराजी 628 मे शामिल करने के बाद 628 बाबत धारा नं. 91 LR act का नोटिस वादी गण के नाम जारी कर दिया गया। वादी ने इस रकबे को दुरुस्त करवाने के लिए राजस्व कार्यालय [illegible] कई बार आग्रह किया किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया [illegible] दिनांक 10.3.15 को राज. सरकार के विधिक प्रतिनिधि जिला कलेक्टर [illegible] नोटिस [illegible] जिसकी तामील दिनांक 10.5.2015 को तामील हो गया किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

वाद कारण दिनांक 10.3.2015 को नोटिस देते लीज दिनांक 10.5.15 की मियाद नोटिस तामील होने पर कब्जा बरानी तहसील बारां के उत्पन्न हुआ। वादी गण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी गण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रति वादी गण को सम्मन तलब किया गया। प्रति वादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी गण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी संवत 2032-35, नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी संवत 2044-47 खाता नं. 76, नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी संवत 2048-51 खाता नं. 83, नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी संवत 2052-53 खाता नं. 102, नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी संवत 2060-63 खाता नं. 110, नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी संवत 2064-67 खाता नं. 110, नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी संवत 2068-71 खाता नं. 129, नकल मिसल बंदोबस्त संवत 2038-57 ग्राम बरानी, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बरानी, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बरानी सन 1955-2011, नकल नामा. नं. 86 ग्राम बरानी, नकल नामा. नं. 99 ग्राम बरानी, नकल नामा. नं. 308 ग्राम बरानी, नोटिस तहसीलदार धारा 91 LR act पेश किया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रति वादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

<u>तनकी नं. 1</u> आया वादी गण के पितामह के खाते की आराजी वाके ग्राम बरानी मालिक ख.नं. 382 रकबा 4.19 बीघा, व उनके ख0नं. 384 रकबा 1.06 बीघा कुल किता 2 रकबा रकबा 6.05 बीघा उनके बाद वादी गण के पिता के खाते दर्ज फौती नामा. नं. 99 दिनांक 18.6.94 दर्ज हुई तथा उनके बाद वादी गण के खाते दर्ज हुई। — <u>वादी गण</u>

<u>तनकी नं. 2</u> आया वाद ग्रस्त भूमि को कम बंदोबस्त खसरा नं. 623 रकबा 0.66 हे., ख.नं. 625 रकबा 0.02 हे. ख.नं. 626 रकबा 0.21 हे. किता 3 रकबा 0.89 हे. कायम हुए जो 0.11 हे. कम कर खसरा नं. 628 विवादग्रस्त में शामिल कर दी — <u>वादीगण</u>

<u>तनकी नं. 3</u> आया वादी गण खसरा नं. 628 में से 0.11 हे. भूमि ख.नं. 623 के सहारे की अपने खाते दर्ज करा पाने के अधिकारी है। — <u>वादीगण</u>

<u>तनकी नं. 4</u> आया उक्त वादीगण द्वारा जिस ख.नं. 628 में से कमी बताई जाती है उसकी किस्म चरागाह होने से प्रकरण में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया इसका वाद पर क्या असर है। — <u>प्रतिवादी</u>

<u>तनकी नं. 5</u> अनुतोष

बहस अन्तिम [illegible] सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित [illegible]। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी [illegible] बरानी तह० बारां में स्थित है जो वादी गण के पितामह के खातेदारी [illegible] थी। वादी गण के पिता पर

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की मृत्यु के बाद वादी के पिता मोहनलाल के खाते दर्ज हुई। उनके फौत के बाद वादी गण के खातेदारी मे दर्ज हुई। विवादित आराजी सेटलमेन्ट के बाद राजस्व कार्यवाहियों व सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वादी गण की भूमि 0.11 हे रकबा कम विधिविरुद्ध दर्ज कर दी गयी। वादी गण द्वारा उक्त कम किये गये रकबे को दुरुस्त कराने के लिए कई बार तहसीलदार साहब से निवेदन किया गया। कम किये गये रकबे का मालूम चला जब वादी गण को धारा 91 LR act का नोटिस प्राप्त हुआ। वादी गण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे वादी गण का कब्जा कम कर रखा है वादी गण का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान पेशकार सरकार द्वारा जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। पेशकार सरकार का कथन है कि वर्तमान मे भूमि चरागाह दर्ज है जोकि ख.नं. 628 मे है वही वादी द्वारा कब्जा चाहता है यह वर्तमान मे चरागाह दर्ज है वादी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं किया है। साथ ही वादी ने ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया है वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। वादी के वाद पत्र का तनकी वार विवरण निस्तारण किया जाता है:-

तनकी नं. 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी गण को था वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी सम्वत 2032-35 खाता नं. 51 व सम्वत 2044-47, 2048-51, के अनुसार नेमा वल्द गोपा के खातेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी सम्वत 2060-63 खाता नं. 110, 2064-67 खाता नं. 110 माधो पुत्र नेमा के नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम बरानी सम्वत 2068-71 खाता नं. 129 मे वादी गण का नाम दर्ज है, नकल नामा नं. 99 व 86 ग्राम बरानी मोतीनामा दर्ज होना पाया जाता है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी गण के पितामह के थी। वादी गण के पितामह के फौत के बाद वादी गण के पिता माधो के तथा वादी गण के पिता माधो के फौत के बाद वादी गण के नाम मोतीनामा के आधार दर्ज की गयी। अतः यह तनकी वादी गण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नं. 2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी गण को था। प्रस्तुत नकल मिलान केवाफल सम्वत बन्दोबस्त 2038-57 ग्राम बरानी के अनुसार साबिक ख.नं. 382 से हाल ख.नं. 623, मि 384 से 625, 626, मि 385 से 627, मि 386 से 628 बने परन्तु वादी द्वारा ख.नं. 627 व 628 की नकले पेश नहीं की गयी। यह मालूम हो सके की साबिक ख.नं. का रकबा कितना था पूर्व मे कितना रकबा था तथा हाल ख.नं. का रकबा कितना [illegible] गया है पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं करने के कारण रकबा [illegible] का पता नहीं लगाया जा सकता है। वादी द्वारा ख.नं. 628 [illegible] पाया है परन्तु ख.नं. 628

लगातार - 4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का पूर्व से स्थित रकबा का रिकार्ड पेश नहीं करने के अभाव में यह नहीं लगाया जा सकता वादी द्वारा 628 का रिकार्ड पेश नहीं किया इस लिए रकबा की दुरुस्ती किया जाना सम्भव नहीं है अतः यह तनकीह वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है

तनकीह नं. 3 इस तनकीह को साबित करने का भार वादी को था। वादी द्वारा खसरा नं. से दुरुस्ती करवाना चाहते है उक्त ख.नं. की नकल पेश नहीं की गई और साथ ही तहसीलदार के जवाब के आधार पर चरागाह होने से उक्त पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है वादी गण द्वारा यद्यपि नकलें पेश नहीं करने एवं उक्त पंचायत को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादी के रकबे की दुरुस्ती किया जाना सम्भव नहीं है अतः यह तनकीह वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है

तनकीह नं. 4 इस तनकीह को साबित करने का भार प्रार्थी वादी को था। प्रार्थी वादी के जवाब में प्रार्थी वादी द्वारा बताया कि वादी गण खसरा नं. 628 में से कमी दुरुस्ती चाही गई है उसकी किस्म चरागाह है तथा वादी द्वारा उक्त पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए बिना उक्त पंचायत को सुने भूमि की दुरुस्ती नहीं की जा सकती है वर्तमान में भूमि चरागाह दर्ज है चरागाह भूमि प्रार्थी वादीगण भूमि की श्रेणी में आती है अतः यह तनकीह प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीहात के विश्लेषणानुसार वादी गण द्वारा खसरा नं. 628 की भूमि में कमी दुरुस्ती करवाना चाहता है उक्त भूमि का रिकार्ड जमाबंदी आदि गण द्वारा पेश नहीं की है वर्तमान में भूमि चरागाह है जो सार्वजनिक भूमि है। वादी गण ने उक्त पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि उक्त पंचायत आवश्यक पक्षकार है उक्त पंचायत को बिना सुने निर्णय नहीं किया जा सकता वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना ही न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विश्लेषणानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय लिखाया जाकर [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
खुरी
उपखण्ड अधिकारी कारां

...उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...या 52/15	धारा अंतर्गत 88,89,90,91,92,188 RTA	निर्णय दिनांक 7-12-21
...क्ष - श्री दिव्यांश शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1. रामकल्याण पुत्र मांगीलाल
2. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल
3. मंगलीबाई बेवा मांगीलाल
4. ...बाई पुत्री मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम ... तह० बारां

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 7.12.21 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद		प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		

Scanned with CamScanner